



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 992/2026

राशिद

आवेदक/आवेदकों

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

विपक्षी पक्षकार

आवेदक के अधिवक्ता

योगेश कुमार मिश्रा

विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता

शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री योगेश कुमार मिश्रा और राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री रामेंद्र पाल सिंह की तर्क सुने और अभिलेख का अवलोकन किया।

यह जमानत याचिका बी.एन.एस.एस. की धारा 483 के तहत आवेदक राशिद की ओर से दायर की गई है, जिसमें उन्हें वाद अपराध संख्या 692/2025, उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1986 की धारा 2/3 के तहत, पुलिस स्टेशन लोहिया नगर, जिला मेरठ में मुकदमे की सुनवाई के दौरान जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे किसी गुप्त इरादे से इस वाद में झूठा फंसाया गया है। अनुलग्नक संख्या 2 में संलग्न गिरोह-वृत्तचित्र में एक आपराधिक इतिहास का मामला दर्शाया गया है और उस वाद में आवेदक जमानत पर है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आगे यह निवेदन किया जाता है कि आवेदक किसी गिरोह का सदस्य, नेता या आयोजक नहीं है और उसने अधिनियम की धारा 2 के खंड (ख) में वर्णित किसी गिरोह की गतिविधियों में न तो सहायता की है और न ही उकसाया है। आवेदक का उपरोक्त वाद के अतिरिक्त कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आगे यह निवेदन किया जाता है कि आवेदक के न्यायिक प्रक्रिया से भागने या गवाहों को प्रभावित करने की कोई संभावना नहीं है। आवेदक, जो 01.12.2025 से कारावास में बंद है, वचन देता है कि यदि उसे स्वतंत्रता दी जाती है तो वह उसका दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी बताया गया है कि न्यायालय में मामलों की अत्याधिक संख्या को देखते हुए, मुकदमे के शीघ्र निष्कर्ष की कोई संभावना नहीं है।

इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक की जमानत याचिका का विरोध किया है, लेकिन उन्होंने आवेदक के विरुद्ध आवेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत मामलों के अलावा कोई अन्य मामला नहीं बताया है।

सभी तथ्यों, प्रकृति और अभिलेख से प्राप्त साक्ष्यों पर विचार करने के बाद और अधिनियम की धारा 19(4) के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए और वाद की गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना मैं इसे जमानत के लिए उपयुक्त मामला पाता हूँ। अतः, वर्तमान जमानत याचिका स्वीकार की जाती है।

आवेदक राशिद को उपरोक्त वाद में अपराध संख्या के आधार पर, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप स्वीय बंधपत्र और इतनी ही राशि के दो विश्वसनीय जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:

- (i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वाद के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।
- (ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव/धमकी नहीं देगा।



(iii) आवेदक को मुकदमे की सुनवाई शुरू होने, आरोप तय होने और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर स्वयं विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहना होगा।

(iv) आवेदक को यह वचन देना होगा कि वह गवाही के लिए निर्धारित तिथियों पर सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध नहीं करेगा, जब गवाह विचारण न्यायालय में उपस्थित हों।

(v) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।

उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन जमानत रद्द करने का आधार होगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात केवल इस जमानत आवेदन के निर्धारण के उद्देश्य से ही सीमित है और इसे किसी भी तरह से वाद की योग्यता पर टिप्पणी के रूप में नहीं माना जाएगा। विचारण न्यायालय इस आदेश में कही गई किसी भी बात से अप्रभावित रहते हुए, प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होगा।

(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव)

16 जनवरी, 2026

मिनी